न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

11.05.2026

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 504 / 2026

आवेदक **मो0 साने राजा** की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक को **मुफसिल थाना काण्ड संख्या 66 / 2026** अन्तर्गत **धारा 309 (4) बी0 एन0 एस0 एस0, 2023** में गिरफ्तारी की आशंका के कारण प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार पाठक एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक संदीप कुमार दिनांक 07.02.2026 को समय करीब 08:30 बजे रात्रि में जमालपुर रेलवे स्टेशन से टोटो नं0 बी0 आर0 08 ई 5119 जो आसमनी कलर के वाहन पर एक व्यक्ति ग्राम बॉक आने के लिए बैठा था बॉक काली स्थान आने पर उक्त लड़का बोला की एन0 एच0 के बगल में चलो मुंगेर पुल जाने वाले एन0 एच0 रास्ते से नीचे उतारा उसी कम में दो और लड़का आया सबसे पहले मेरा मोबाईल नं0 7859050893 छीन लिया और मेरा हाथ बॉध कर बगल के बगीचा में लेकर चला गया और मेरे पॉकेट से 800 रूपया छीन लिया और मुझे एक आम के गाछ में हाथ पिछे कर बॉध दिया उसक बाद गला दबाने का प्रयास किया और तीनों लड़का मेरा टोटो लेकर भाग गया मैं किसी भी तरह हाथ खोल कर भागा और बॉक काली स्थान के पास अंजान व्यक्ति से अनुरोध कर डायल 112 के पुलिस को सुचना दिया कुछ ही देर बाद पुलिस आकर बगल के इलाका में जाकर जॉच पड़ताल किया उन तीन लड़को का उम्र करीब 20–25 वर्ष होगा सभी दुबले पतले लीन साधारण कद काठी का था।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह कि प्रार्थी प्रस्तुत वाद में बिल्कुल निर्दोष है तथा आपसी रंजिश के कारण बिल्कुल गलत मंशा से प्रार्थी का भी नाम सम्मिलित किया गया है। यह कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के अलावे उच्च न्यायालय, पटना में अग्रिम व नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं की गई है। यह कि प्रार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह कि प्रस्तुत वाद में प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है व आपसी रंजिश के कारण सह अभियुक्तों द्वारा प्रार्थी का भी नाम सम्मिलित किया गया है। यह कि प्रस्तुत काण्ड अज्ञात के विरूद्ध बी0 एन0 एस0 की धारा 309 (4) के अन्तर्गत काण्ड अंकित कराई गई जो बिल्कुल सत्य से पड़े है। यह कि प्रार्थी बी0 एन0 एस0 की धारा 309 (4) के अन्तर्गत अपराध नहीं बनता है क्योंकि प्रार्थी तथाकथित घटना की तिथि व वक्त घर से बाहर रहते हुए कलकता में दैनिक मजदूरी कर अपना तथा अपने परिवार वालों का भरण–पोषण करता चला आ रहा है। यह कि प्रस्तुत काण्ड के सह अभियुक्तों (1) मो0 कैफी उर्फ कैफ एवं (2) मो0 तवारक खान के

लगातार

11.05.2026

स्वीकारोक्ति व्यान के आधार पर प्रार्थी का भी नाम सम्मिलित किया गया है। यह कि प्रस्तुत काण्ड के प्राथमिकी एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी के पास या परिसर से कोई संदिग्ध समान (टोटा) की बरामदगी नहीं हुआ है। यह कि प्रार्थी को यदि अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो इसकी गिरफतारी समभाव्य है। यह कि प्रार्थी द्वारा श्रीमान् के किसी भी आदेश को विनम्रता पूर्वक पालन करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी को किसी भी राशी की प्रतिभू निम्न न्यायालय में दाखिल पश्चात् जमानत पर मुक्त किए जाने की कृपा की जाय जिसके लिए प्रार्थी श्रीमान् का सदा अभारी रहेगा।

विद्वान सहायक अभियोजन के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रस्तुत केस अन्तर्गत धारा 309 (4) बी0 एन0 एस0 एस0 के तहत अज्ञात के विरूद्ध दाखिल किया गया, जिसमें रात्रि में साढ़े आठ 800/– रूपया, मोबाईल फोन और टोटो को लुटने का आरोप है, जिसमें अभियुक्त का नाम सह–अभियुक्त गुलशन कुमार सिंह, मो0 कैफी उर्फ कैफ तथा मो0 तबारक खान के संस्वीकृति बयान के आधार पर आया है और काण्ड दैनिकी के कंडिका 12 में सह–अभियुक्त मो0 कैफी उर्फ कैफ के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर टोटो नंबर प्लेट खुला हुआ, उसके घर के पास से बॉसबिट्टी से बरामद हुआ है एवं मुल काण्ड दैनिकी के कंडिका 01, कंडिका 02, कंडिका 04 (घटनास्थल), कंडिका 06, कंडिका 07 (सी0 सी0 टी0 वी0 फुटेज तथा फोटो के आधार पर सभी अभियुक्तों की पहचान, कंडिका 12 (टोटो की बरामदगी), कंडिका 13, कंडिका 15 (बैग की बरामदगी), कंडिका 33, जिसमें (पर्यवेक्षण टिप्पणी में सभी अभियुक्तों के विरूद्ध घटना सत्य पाया गया है।) कंडिका 66 (सह अभियुक्त गुलशन कुमार के पास से लुटा हुआ मोबाईल बरामद,) कंडिका 71 गुलशन कुमार की स्वीकारोक्ति बयान तथा कंडिका 85 सह अभियुक्त मो0 कैफ उर्फ कैफी, गुलशन कुमार सिंह तथा मो0 तबारक खान के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 309 (4) एवं धारा 317 (2) बी0 एन0 एस0 के तहत आरोपपत्र संख्या 211/2026, दिनांक 31.03.2026 समर्पित, के आधार पर आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है तथा यह अपराध को गंभीर बनाता है। ऐसी स्थिति में, अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित नहीं होगा अतः, इसका जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख तथा काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि मुल काण्ड दैनिकी के कंडिका 08 के अनुसार सी0 सी0 टी0 वी0 फुटेज के आधार पर आवेदक अभियुक्त की पहचान की गयी है तथा सह अभियुक्त मो0 कैफी उर्फ कैफ, मो0 तबारक खान एवं गुलशन कुमार के द्वारा काण्ड दैनिकी के कंडिका 12, कंडिका 13 तथा कंडिका

लगातार

11.05.2026

71 में संस्वीकृति बयान में आवेदक अभियुक्त का नाम आया है। इसके अतिरिक्त, संस्वीकृति बयान के आधार पर काण्ड दैनिकी के कंडिका 12 के अनुसार बिना नम्बर प्लेट की लुटी गई टोटो की बरामदगी सह अभियुक्त मो0 कैफी उर्फ कैफ के घर के बगल स्थित बॉसबिट्टी से उसके संस्वीकृति बयान पर तथा अन्य पारा में मोबाईल और बैग की बरामदगी भी की गयी है। साथ ही, काण्ड दैनिकी के कंडिका 33 में अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप सत्य पाया गया है तथा कंडिका 85 में आरोप पत्र संख्या 211 / 2026 के तहत धारा 309 (4) और धारा 317 (2) बी0 एन0 एस0 के तहत सह अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपपत्र समर्पित किया जा चुका है तथा आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी है। पूरक अनुसंधान के कंडिका 22 में पहचान परेड भी करायी गयी है। आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि घटना की तिथि तथा समय पर आवेदक अभियुक्त कलकता में मजदूरी कर रहा था, इस संबंध में भी कोई कागज अभिलेख पर दाखिल नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं सह अभियुक्तों के बयान के आधार पर लुटी गई सामग्री की बरामदगी तथा सी0 सी0 टी0 वी0 फुटेज में संलिप्तता, आवेदक अभियुक्त के प्रस्तुत काण्ड में शामिल होने का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता प्रतीत होता है और अग्रिम जमानत का कोई आधार नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में, आवेदक अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

कार्यालय आदेश की प्रति अविलंब संबंधित न्यायालय में भेंजे।

लेखापित

(विकास मिश्र)
जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
व्यवहार न्यायालय, मुंगेर
दिनांक 11.05.2026